



Neutral Citation No. 2026:AHC:129290

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 21682 वर्ष 2026

शारिका सोनकरआवेदिका

बनाम

उ०प्र० राज्यविपक्षी

आवेदिका के अधिवक्ता: अजीत मणि त्रिपाठी, सुशील कुमार मिश्रा

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या.- 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत मणि त्रिपाठी और राज्य के विद्वान ए०जी०ए० श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन पत्र आवेदिका को मुकदमा अपराध संख्या 20/2026, धारा 80, 85 बीएनएस (धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं०) और धारा 3/4 डीपी एक्ट, पुलिस थाना तिवारीपुर, जिला गोरखपुर में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दाखिल की गई है।
3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदिका, मृतका की अविवाहित भाभी है, लेकिन इसके बावजूद उसे अन्य लोगों के साथ इस मामले में संलिप्त कर दिया गया है।
4. उन्होंने तर्क दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतका की मृत्यु फांसी के परिणामस्वरूप दम घुटने से हुई है, इसलिए प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है।
5. उन्होंने यह निवेदन किया है कि पति-पत्नी के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ और उसके बाद मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उसकी मृत्यु के बाद मृतका की भाभी होने के कारण आवेदिका को भी इस मुकदमे में आरोपी बनाया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उन्होंने अग्रेतर तर्क दिया कि आवेदिका के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदिका अविवाहित लड़की है और वह अध्यापन का काम करती है।
7. उन्होंने अग्रेतर तर्क दिया कि आवेदिका का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 14.02.2026 से जेल में निरुद्ध है।
8. इसके विपरीत, विद्वान ए०जी०ए० ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया, लेकिन आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन को सुन लिया है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।
10. हालांकि, आरोप के अनुसार, आवेदिका ने मृतका की दहेज हत्या की और मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलता है कि मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका मृतका की अविवाहित भाभी है और उसके खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं।
11. अग्रेतर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतका की मृत्यु फांसी के कारण हुई है, इसलिए प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है।
12. अग्रेतर, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका अविवाहित लड़की है और वह अध्यापन का काम भी कर रही है।
13. अग्रेतर, आवेदिका का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह पिछले 4 महीनों से अधिक समय से जेल में है।
14. अतः, उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदिका जमानत पर निर्मुक्त होने की हकदार है।
15. तदनुसार, मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
16. आवेदिका शारिका सोनकर को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदिका निर्धारित तिथियों पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से रोका जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया जाए।

(iii) आवेदिका किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगी।

17. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदिका की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन पत्र के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

25 जून, 2026

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

शाहरोज